108

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 334-एक/2017 - विरूद्ध आदेश दिनांक 19-01-2017 - पारित व्दारा - अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर - प्रकरण कमांक 3/2012-13 निगरानी

श्रीमती विशाखा पत्नि विश्वनाथ राव
ग्राम कोटरा तहसील व जिला श्योपुर ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर श्योपुर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री योगेन्द्र भदौरिया)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 16-04 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 3/2012-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-01-2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी श्यापुर ने शिकायती आवेदन की जांच कर कलेक्टर जिला श्योपुर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम कोटरा में भूमिस्वामी विनायक राव ने स्वयं् के नाम की कृषि भूमि सर्वे कमांक 6 रकबा 40 वीघा 01 विसवा का ग्राम कोटरा की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 187 रकबा 27 वीघा 13 विसवा तथा सर्वे कमांक 11 रकबा 35 वीघा 2 विसवा में से 12 वीघा का विनियम कराया है। यह विनिमय अपर कलेक्टर श्योपुर के प्र0क0 1/77-78 अ-19 में पारित आदेश दि. 20-1-81 से स्वीकृत हुआ है परन्तु विनरायक राव ने विनिमय में म0प्र0शासन को प्राप्त

हुई सर्वे कमांक 6 रकबा 40 वीघा 01 विसवा भूमि शासन की दर्ज होने के उपरांत तहसीलदार श्योपुर से प्रकरण कमांक 74/1987-88 अ-19 में पारित आवन्टन आदेश दिनांक 28-3-88 से स्वयं के पुत्र शदाशिवराव, पुत्री श्रीमती विशाखा राव तथा पुत्रबधु श्रीमती संगीता के नाम पटटे कराये हैं।

अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जिला श्योपुर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण पॅजीबद्व किया तथा उक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कार्य विभाजन के अनुसार प्रकरण कलेक्टर श्योपुर से अपर कलेक्टर श्योपुर के न्यायालय में प्राप्त होने पर कमांक 3/2012-13 निगरानी पर पॅजीबद्व हुआ तथा हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई करके आदेश दिनांक 19-01-2017 पारित किया गया तथा निर्णीत किया कि श्रीमती संगीता पत्नि सदाशिवराज राव टिकेकर को किया गया भूमि आवन्टन अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण कमांक 1/1977-78 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 20-1-1981 से निरस्त किया जा चुका है एंव श्रीमती विशाखा वाई पत्नि विश्वनाथ को भी उसी प्रकरण कमांक से उन्हीं तथ्यों के आधार पर उन्हीं परिस्थितियों में उक्त भूमि आवंटित की गई है जिसके कारण इस पक्षकारों को आवंटित भूमि सर्वे कमांक 6/5 रकबा 8 वीघा का तहसीलदार के प्रकरण कमांक 74/1987-88 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 28-3-88 से किया गया आवन्टन विधि विरूद्व होने से निरस्त कर भूमि शासकीय घोषित की जाती है। अपर कलेक्टर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 श्योपुर में आवेदक व्दारा दायर व्यवहार वाद कमांक 99 ए/14 में आदेश दिनांक 23-3-15 से आवेदक के पक्ष में डिकी है जिसमें मध्य प्रदेश शासन को आवेदक के आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 6/5 रकबा 1-672 है. में दखल देने से स्थाई रूप से निषेधित किया गया है परन्तु अपर

कलेक्टर ने इसकी अनदेखी की है। शासन के पैनल लायर का तर्क है कि अपर कलेक्टर ने व्यवहार वाद की डिक्री के संबंध निष्कर्ष अनुसार ही कार्यवाही की है जबकि आवेदक के अभिभाषक न्यायालय को भ्रमित करने के प्रयास में हैं।

अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 3/2012-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-01-2017 के पद 5 का अवलोकन करने पर स्थिति इस प्रकार है :-

'' आदेश दिनांक 19-1-17 का पद 5 - मान. सिविल न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 99 ए /14 में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23-3-2015 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय एंव डिक्री में तहसीलदार एंव हलका पटवारी द्वारा गैर पुनरीक्षणकर्ता कमांक 2 को विवादित भूमि से विधि विरूद्ध रूप से बेदखल करने के आरोप के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर डिक्री पारित की गई है कि प्रतिवादी गैर पुनरीक्षणकर्ता कमांक 2/वादी की आधिपत्य की भूमि सर्वे क. 6/5 रकबा 1.672 है. स्थित ग्राम कोटरा वृत्त मानपुर तह. व जिला श्योपुर म.प्र. पर से वादी को विधि की सम्यक प्रकिया अपनाये बिना न तो स्वयं् बेदखल करेगा न ही अन्य किसी से करायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस प्रकरण में तहसीलदार/पटवारी द्वारा बिना विधि की प्रकिया का पालन किये गैर पुनरीक्षणकर्ता कमांक 2 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जा रहा था। मान. न्यायालय के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23-3-2015 के अनुसार वादी/गैरपुनरीक्षणकर्ता कमांक 2 को विधि की सम्यक प्रकिया अपनाये बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। ''

अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर के आदेश दिनांक 19-01-2017 में की गई उक्तानुसार विवेचना के कम में विचार करने पर स्थिति यह है कि :-

1. आवेदक के हित में तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण कमांक 74/1987-88 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 28-8-1988 को पटटा दिया है जबकि पटटे की भूमि विनिमय के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को प्राप्त होकर शासकीय एंव सार्वजनिक हित की भूमि रही है।
2. अपर कलेक्टर के आदेश में की गई विवेचना अनुसार विनायक राव ने स्वयं् के नाम की कृषि भूमि स.क. 6 रकबा 40 वीघा 01 विसवा का ग्राम कोटरा की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 187 रकबा 27 वीघा 13 विसवा तथा सर्वे कमांक 11 रकबा 35 वीघा 2 विसवा में से 12 वीघा का

विनियम कराया था अर्थात विनायक राव एंव उसका परिवार पूर्व से ही बड़े कास्तकार हैं जिन्हें पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नियमानुसार नहीं है।

3. अनुविभागीय अधिकारी श्यापुर के प्रतिवेदन के अनुसार विनिमय ग्रहीता परिवार के मुखिया बिनायक राव ने तहसीलदार श्योपुर से मिलकर प्रकरण क्रमांक 74/1987-88 अ-19 में पारित आवन्टन आदेश दिनांक 28-3-88 से स्वयं के पुत्र शदाशिवराव, पुत्री श्रीमती विशाखा राव तथा पुत्रबधु श्रीमती संगीता के नाम पटटे कराना प्रमाणित हुआ हैं।
4. अपर कलेक्टर व्दारा आदेश के पृष्ठ 3 पर की गई विवेचना अनुसार तहसीलदार ने राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के नियमों का पालन नहीं किया है तथा ग्राम के समस्त भूमिहीनों के प्राथमिकता क्रम पर विचार किये बिना सदाशिवराव की पुत्री को भी भूमिहीन न होते हुये पट्टा दिया है।
5. आवेदक के साथ अन्य पट्टाग्रहीता श्रीमती संगीता पत्नि सदाशिवराज राव (विनिमयग्रहीता विनायकराव की पुत्रबधु) का पट्टा अपर कलेक्टर श्योपुर ने प्र. क. 1/77-78 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 20-1-81 से निरस्त किया है एंव इस प्रकरण की भी वही परिस्थितियॉ है जो अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 3/2012-13 निगरानी में हैं, जिसके कारण अपात्र आवेदक का भी पट्टा अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 19-1-17 से निरस्त किया है।

उपरोक्त विवेचना-स्वरूप स्थिति यह है कि आवेदक भूमि आवन्टन की अपात्र है अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर के आदेश दि. 19-01-2017 में विस्तृत विवेचना कर निकाले गये निष्कर्ष सही प्रतीत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन हेने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 3/2012-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-01-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर